231 14 2007 के वेतनमानों के तहत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के कर्मचारियों के संबंध में आवास किराए भत्ते का मुद्दा

अधोहस्ताक्षरी को निदेश दिया जाता है कि वह लोक उद्यम विभाग के दिनांक 26.11.2008 का पैरा '7' देखे जिसमें 2007 के वेतनमानों के तहत केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कर्मचारियों के लिए आवास किराए भत्ते की दरों (शहर में आबादी के आधार पर) दी गई हैं। इस संबंध पैरा में लोक उद्यम विभाग के दिनांक 02.04.2009 के कार्यालय ज्ञापन का पैरा '2' (iii) भी देखा जा सकता है। आवास किराए भत्ते की अनुमेयता और उसकी गणना के निर्धारण का मानदण्ड लोक उद्यम विभाग के उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन में स्पष्ट तौर पर बताया गया है। तथापि, चूंकि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम और उनके प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग शहरों के वर्गीकरण और उन पर लागू आवास किराए भत्ते की दरों के मुद्दे के संबंध में बार–बार स्पष्टीकरण मांगते है, यह स्पष्ट किया जाता है किः–

केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को आवास किराया भत्ता प्रदान करने के संबंध में व्यय विभाग के दिनांक 29.08.2008 का कार्यालय ज्ञापन शहरों/नगरों के 'क', 'ख' और 'ग' के रूप में वर्गीकरण पर आधारित है जहां 'क' से आश्य 50 लाख और उससे अधिक आबादी वाले शहरों से है, 'ख' से आश्य 5 से 50 लाख की आबादी वाले शहरों से है और 'ग' से आश्य 5 लाख से कम आबादी वाले शहरों से है। आवास किराए भत्ते की गणना तीनों श्रेणियों के शहरों/नगरों में से प्रत्येक के एकल कर्मचारियों के लिए क्रमशः 30 प्रतिशत, 20 प्रतिशत और 10 प्रतिशत की दर से की जाती है। शहरों/नगरों के वर्गीकरण का यही मानदण्ड, आवास किराए भत्ते की स्वीकार्यता के लिए केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कर्मचारियों पर भी लिए लागू है। किसी विशेष वर्गीकरण के तहत कवर शहर/नगर में तैनात केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के सभी कर्मचारियों के लिए भी आवास किराए भत्ते की दरों का मानदण्ड समान होगा जैसाकि सरकारी उद्यम विभाग के दिनांक 29.08.2008 के कार्यालय ज्ञापन में, परिवर्ती संशोधनों के साथ पठित कार्यालय ज्ञापन में दिया गया है और जैसा लोक उद्यम विभाग द्वारा केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कर्मचारियों को दिया गया है।

2. मंत्री (एचआई और पीई) के अनुमोदन से जारी।

(डीपीई का.ज्ञा.सं. 2(46)/2012–डीपीई (डब्ल्यूसी)–जीएल–I/2013, दिनांक 07 जनवरी, 2013)

*****